Prof. Dr. R. S. Sharma
Vice-Chancellor
MD, DM Cardiology
(AIIMS, New Delhi)

MP Medical Science University
NSCB College Campus Jabalpur
Pin-482 003
Phone: 0761-2670340, Fax: 0761-2670333
Mobile:- 9827066012
Email:docrssharma@gmail.com, web:-mpmsu.edu.in

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / कुलपति / 2018 / 389 जबलपुर, दिनाँक २५ / 11 / 2018

प्रति,

अधिष्ठाता,
समस्त चिकित्सा / दंत / आयुष / होम्योपैथिक / नर्सिंग / पैरामेडिकल महाविद्यालय,,
(म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध)।

विषयः– विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं तत्संबंधी कार्यवाही हेतु निर्देश।

महोदय,

विश्वविद्यालय के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुछ महाविद्यालयों में विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से कक्षाओं से अनुपस्थित रहते है। यह भी संज्ञान में आया है कि कई छात्र महाविद्यालय समय में प्रायवेट कोचिंग अटेंड कर रहे हैं। यह स्थिति बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तथा इस विषय में 'जीरो टालरेंस' की पॉलिसी निर्धारित की गई है। म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अपने से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता तथा अनुशासन बनाए रखने हेतु कृतसंकल्प है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैः–

1. सभी कक्षाओं एवं प्रेक्टिकल एवं बेड साईड शिक्षा का कार्यक्रम विश्वविद्यालय को प्रतिमाह अग्रिम रूप से सूचना के रूप में भेजना अनिवार्य है।
2. सभी कक्षाओं में शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। यदि कोई छात्र अनाधिकृत रूप से बिना पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृती के बिना अनुपस्थित रहता है तो–

क) इस तरह की प्रथम बार अनुपस्थिति में संबंधित विभाग एवं अधिष्ठाता द्वारा कारण बताओ एवं चेतावनी दी जावे।

ख) इसी तरह द्वितीय बार अनुपस्थिति में छात्र को पुनः चेतावनी दी जावे तथा पालकों को सूचित कर दिया जावे।

ग) तृतीय बार अनुपस्थित रहने पर छात्र के Term/Internal /PU परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

घ) इसके बाद पुनः अनाधिकृत अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय को सूचित किया जाये एवं विश्वविद्यालय उस छात्र का पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही करेगा।

<u>यह स्पष्ट कर दिया जाता है किः–</u>

A) इन निर्देशों का MCI / अथवा एपेक्स कौंसिल द्वारा निर्धारित प्रतिशत अटेंडेन्स से संबंध नहीं है। यह विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्यवाही है।

B) इन निर्देशों की छात्रों / विद्यार्थियों को पूर्व सूचना दी जावे (परिपत्र द्वारा एवं स्पष्ट रूप से समस्त विद्यार्थियों को सभागृह में बुलाकर प्रत्यक्ष रूप में)।

C) उक्त निर्देशों का पालन ना करने पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य / अधिष्ठाता उत्तरदारी होंगे।

डॉ. आर. एस. शर्मा
एम.डी. डी.एम. (कार्डियोलॉजी) एम्स नई दिल्ली
कुलपति
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर